न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 05/25 (अपील)

GCMS No. : 2025/321

अनवान्

1. नवीन पाटीदार पुत्र नानालाल पाटीदार जाति कुलमी, उम्र 27 वर्ष, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. विनोद पाटीदार पुत्र नानालाल पाटीदार जाति कुलमी, उम्र 32 वर्ष, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.............अपीलान्ट्

बनाम

1. शिवराम पिता शंकरलाल जी पाटीदार जाति कुलमी, उम्र 73 वर्ष, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०))

......................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट्।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. डबोक, बाबत ना. सं. 4196 दि. 12.05.2025

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 29.07.2025

1. अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा डबोक, पटवार हल्का डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में स्थित खातेदार शिवराम पुत्र शंकरलाल कुलमी ने अपनी सहखातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 683 नया की आराजी नम्बर 2778, 2779, 3544, 3545, 3563, 3564, 3565, 3566, 3568 कुल किता 9 कुल रकबा 2.4281 हैक्टेयर में निहित 7/8 हक व हिस्से में से सम्पूर्ण आराजीयात का 1/2 हक व हिस्सा सामुहिक रूप से तथा खाता संख्या 684 नया की आराजी नम्बर 3614, 3615 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5423 हैक्टेयर में निहित 7/24 हक व हिस्से में से सम्पूर्ण आराजीयात का 1/6 हक व हिस्सा सामुहिक रूप से रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड (उपहार पत्र) के जरिए दिनांक [illegible]2025 को हम अपीलान्ट्स को दान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:00 IST
Reason: SelfAttested

किया और उपरोक्त हिस्सेनुसार दानकर्ता ने हम अपीलान्ट्स को मौके पर भौतिक एवं वास्तविक कब्जा सुपुर्द कर दिया जिससे तब से दान में प्राप्त हुए हक हिस्से पर दानकर्ता खातेदार के बजाय हम अपीलान्ट्स (दानग्रहिता) का कब्जा उपयोग उपभोग चले आ रहे हैं। हम अपीलान्ट्स ने उक्त पंजीकृत गिफ्ट डीड (उपहार पत्र) से प्राप्त हुए हिस्सा भूमि को राजस्व रेकर्ड में अपने नाम पर अमल दरामद कराने के लिए नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर ऑनलाइन अपीलाधीन नामान्तरकरण भरवाकर आवेदन किया जिसपर पटवारी हल्का डबोक ने अकारण ही हिस्सा गलत दर्ज हो जाने से निरस्त / शुन्य योग्य है नामान्तरकरण पर टिप्पणी अंकित कर दी तत्पश्चात् ग्राम पंचायत डबोक की ग्रामसभा में नामान्तरकरण प्रस्तुत होने से ग्राम पंचायत के सरपंच रेस्पोडेन्ट्स संख्या ने पटवारी की रिपोर्ट को आधार बनाकर उक्त नामान्तरकरण पर यह नोट लगाते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त कर दिया कि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अस्वीकृत ।

2. निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत डबोक का कथित आदेश न्याय एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होकर नामान्तरकरण को खारिज करने में कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड (उपहार पत्र) का अवलोकन किये बगैर ही पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट को आधार बनाकर नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया। जबकि नामान्तरकरण में जो हिस्से अंकित किये गये है वह एकदम सही एवं सटीक है और हिस्से के सम्बन्ध में लेशमात्र भी संदेह नही हो सकता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में जो हिस्से दर्ज किये गये है वह सही है इसके बावजूद भी पटवारी द्वारा बिना कोई स्पष्टीकरण दिये एवं बिना कोई टिप्पणी किये मनमाने ढंग से हिस्से गलत दर्ज होने से निरस्त / शुन्य योग्य है, की रिपोर्ट अंकित कर दी गई। जबकि ऐसे मामले में पटवारी को इसका स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक था।

3. यह कि दिनांक 09/6/25 को अपीलान्ट्स पटवारी हल्का के पास रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड (उपहार पत्र) के आधार पर अपने खाते हुई जमीन की नकल लेने के लिए गये तो पटवारी हल्का ने बताया कि दिनांक 12.05.2025 को ही ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण को खारिज कर दिया जिस पर अपीलान्ट्स ने दिनांक 11.06.2025 को कथित नामान्तरकरण की नकल ली तो पता चला कि ग्राम पंचायत डबोक ने दिनांक 12.05.2025 को ही नामान्तरकरण खारिज कर दिया है। इससे पूर्व अपीलान्ट्स को किसी प्रकार की कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में नही रही थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:00 IST
Reason: SelfAttested

जिससे अपीलान्ट की ओर से जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि पेश है।

4. अंत में निवेदन किया की अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर जेर बहस आदेश दिनांक 12.05.2025 अपास्त फरमाया जावें एवं अपील में वर्णित जेर बहस भूमि रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड (उपहार पत्र) के आधार पर अपीलान्ट्स के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।
5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 उपस्थित होकर अपील को स्वीकार किया। अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा दौराने बहस अपील के तथ्यों को दौहराते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
6. हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत डबोक द्वारा पारीत नामान्तरकरण संख्या 4196 दिनांक 12.05.2025 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पटवारी पटवार हल्का डबोक द्वारा रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 21.02.2025 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया। पटवारी द्वारा अपनी टिप्पणी में अंकित किया की हिस्सा गलत होने से निरस्त/शुन्य योग्य है। रजिस्टर्ड उपहार पत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्टगण के पक्ष में किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत डबोक के समक्ष उक्त नामान्तरकरण प्रस्तुत होने के पश्चात खारिज कर दिया गया। रजिस्टर्ड उपहार पत्र में हिस्सा गलत दर्ज नही है। रजिस्टर्ड उपहार पत्र की कलम संख्या 2 में उपहार में दी गई भूमि का हिस्सा अंकित है। यदि नामान्तरकरण में हिस्सा गलत दर्ज किया जाता है तो उसको पटवारी हल्का द्वारा संशोधन कर ग्राम पंचायत को प्रेषित करना चाहिए था। इसके आधार पर नामान्तरकरण खारिज नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को भी पुनः पटवारी हल्का को नामान्तकरण हिस्सा सही करने के लिए प्रेषित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र यह अंकित किया कि पटवारी रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया जाता है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त उपहार पत्र की कलम संख्या 2 में हिस्से अंकित है उसी हिस्से अनुसार पटवारी को नामान्तरकरण दर्ज करना था। यदि नामान्तरकरण ऑनलाईन अपीलाण्टगण द्वारा दर्ज किया गया था तो पटवारी हल्का को उपहार पत्र अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chand Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:00 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सो का संशोधन कर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। केवल मात्र ऐसी लिपिकीय त्रुटि के आधार पर नामान्तरकरण खारिज नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण खारिज कर विधिक भूल की है, जो कि न्यायोचित नही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत डबोक के नामान्तरकरण संख्या 4196 में दिनांक 12.05.2025 को पारित निर्णय अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सभी हितबद्ध पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 21.02.2025 में दर्ज हिस्से अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:00 IST
Reason: SelfAttested